कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

आर0सं0: 317 /12-1(2) दिनांक 04/08/2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड–2
नई टिहरी ।

विषय :– प्रधानमंत्री ग्रम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकासखण्ड में रायपुर–कुमाल्डा–कद्दूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव हेतु वन भूमि हस्तान्तरण

महोदय,

उपरोक्त विषय पत्र से प्रस्तुत प्रस्ताव आपको मूल में निम्न कमियों सहित वापस किया जा रहा है।

1. आपके द्वारा प्रस्ताव में सिविल सोयम भूमि एवं वन पंचायत भूमि का विवरण लम्बाई व चौड़ाई में नहीं दिया गया है।
2. आपके द्वारा प्रस्ताव में संलग्न बार चार्ट प्रस्ताव के अनुरुप नहीं दिया गया है।
3. प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप–19.1 में प्रभावित होने वाले वृक्षो का विवरण कम्पार्टमेन्ट/ग्रामवार/खसरा वार उल्लेख नहीं किया गया हैं ।
4. अवगत कराना है कि प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का ऑनरशिप प्रमाणपत्र एवं एम0ओ0यू0 की प्रति संलग्न करें ।
5. आपके द्वारा ऑनलाइन भाग–1 के पैरा B-2.2 डिस्ट्रिक वाइज ब्रेकअप में जनपद देहरादून में प्रभावित होने वाली वन भूमि शून्य दर्शायी गयी है जबकि प्रस्तुत प्रस्ताव में जनपद देहरादून के मसूरी वन प्रभाग में 0.2975 हे0 वन भूमि दर्शायी गयी है, जिससे प्रस्तुत प्रस्ताव एवं ऑनलाइन प्रस्ताव में भिन्नता है, स्थिति स्पष्ट करें ।
6. अवगत कराना है आपके द्वारा ऑनलाइन भाग–1 के पैरा–L-4-F में ऑनरशिप प्रमाणपत्र अपलोड नहीं किया गया है ।
7. आपके द्वारा ऑनलाइन भाग–1 के पैरा L-4-G में एम0ओ0यू0/एग्रीमेण्ट की मूल प्रति अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें ।
8. आपके द्वारा ऑनलाइन भाग–1 के पैरा L-4-H में Non encumberence certificate की मूल प्रति अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें ।
9. प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप–42 प्रभावित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष दोगुनी भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन प्रभागीय दरानुसार तैयार नहीं किया गया है। उक्त प्रस्ताव राजि अधिकारी के सहयोग से तैयार कर संशोधित प्रॉक्कलन प्रस्ताव में चस्पा करें।
10. प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप–46 पथ वृक्षारोपण प्राक्कलन प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक सं0–972/3–5–2(II) दिनांक 21/11/2017 में उल्लेखित दरानुसार राजि अधिकारी के सहयोग से तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न करें।
11. प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप–52 वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन राजि अधिकारी के सहयोग से तैयार कर प्रस्ताव में चस्पा करें।

12. आपके द्वारा प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप–11 वन भूमि के मार्ग का मॉग पूर्ण औचित्य में राजि अधिकारी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर आपेक्षित हैं।

13. भाग–1 के Additional column में प्रारूप–1 से 56 तक के संपूर्ण प्रारुप कमानुसार अपलोड करें ।

अतः प्रस्ताव अपने प्रतिनिधि में माध्यम से इस कार्यालय से प्राप्त कर उल्लेखित बिन्दुओं के निराकरण के पश्चात प्रस्ताव की प्रति में उप प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर उपरान्त इस कार्यालय को प्रस्तुत करना चाहें।

संलग्न–यथोपरि :–

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः– 317 / दिनांकित।

प्रतिलिपि :– राजि अधिकारी माणिकनाथ को इस आशय से कि उल्लेखित कमियों के निराकरण हेतु प्रस्तावक विभाग को अपेक्षित सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– उप प्रभागीय वनाधिकारी देवप्रयाग उप वन प्रभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

[signature] 6/4/8/18

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

OC